संवाद

मासूम आँखों में अनगिनत सपने लिए बच्चे विद्यालय में कदम रखते हैं। होठों पर मुस्कान लिए विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़-चढ़ कर उत्साह के साथ भाग लेते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम शिक्षक बच्चों को ऐसे अनुभव व अवसर प्रदान करें जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। रोचक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षक बड़ी ही सरलता से बच्चों को भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक या सहयोगात्मक विकास एवं सृजनात्मक विकास के अवसर मुहैया करा सकते हैं। कभी-कभी कुछ बच्चों में जो गणितीय डर उत्पन्न हो जाता है उसे भी खेल एवं गतिविधि-आधारित शिक्षण प्रक्रिया से दूर किया जा सकता है।

हाल के वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले शोधों में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिससे सीखने-सिखाने की प्रवृत्ति को समझने में काफ़ी सहायता मिली है। क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से शैक्षिक कार्य स्पंदन में संलग्न शिक्षाविदों से लेकर शिक्षकों को 'बच्चे कैसे सीखते हैं' पर अपनी समझ बनाने में सहायता मिलती है। सीखने-सिखाने की इस प्रवृत्ति पर भारतीय दार्शनिकों ने समय-समय पर अपनी राय रखी है जिनमें रवींद्रनाथ टैगोर का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उन्होंने शिक्षा को देश की उन्नति एवं विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना है।

शिक्षा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि इसमें बेहतर सुधार हेतु शिक्षक-प्रशिक्षकों की क्षमता अभिवर्द्धन के लिए रिफ्रेशर कोर्स एवं अभिमुखीकरण कोर्स संचालित किए जाएँ। इसके अतिरिक्त अभिभावकों को जागरूक किया जाए कि वे अपने बच्चों को केवल विद्यालय भेजने भर से ही निश्चिंत न हो जाएँ बल्कि विद्यालयों में संचालित प्रत्येक गतिविधि से अवगत रहें तथा शिक्षा से जुड़ी नीतियों व कार्यक्रमों को सफ़ल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

प्रस्तुत अंक में लेखों के साथ-साथ एक बाल कहानी एवं बालमन की अभिव्यक्ति भी शामिल है जो बच्चों में कल्पना शक्ति को बढ़ाती है एवं उनका भाषायी विकास भी करती है। आशा है कि यह अंक आपको पसंद आएगा। पत्रिका से संबंधित आप यदि कोई सुझाव देना चाहें तो आपका स्वागत है।

अकादमिक संपादक

October 2016.indd 3 8/16/2017 3:36:51 PM

प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी करते हैं, आरंभिक बाल्यकाल देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए नि:शुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।

आर.टी.ई. — 2009

October 2016.indd 4 8/16/2017 3:36:51 PM